शीर्ष प्राथमिकता/बजट भाषण

संख्या- 10 /2022 /बी-3- 384 /दस-2022

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,

अपर मुख्य सचिव,वित्त एवं वित्त आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-3 लखनऊ :दिनांक 17 नवम्बर, 2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बजट अनुमानों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या–20/2022/बी-1-671/दस-2022-12(2)/2023, दिनांक 30 सितम्बर 2022 द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। राज्य सरकार के आय-व्ययक पर माननीय मंत्री जी का बजट भाषण एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसके माध्यम से सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं तथा नीतियों की रूपरेखा विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अत: माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की तैयारी के लिए सभी विभागों से सामग्री की आवश्यकता है। अस्तु, अनुरोध है कि वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण तैयार किये जाने हेतु अपने विभाग से सम्बन्धित सामग्री वित्त विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- बजट भाषण तैयार करने के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है :-

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) बजट भाषण में राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकताओं, विकास की कार्य योजना की रूपरेखा तथा लोकोपयोगी योजनाओं एवं उनकी पूर्ति हेतु प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

(2) सरकार की प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण/विशेष कार्यक्रमों, नई योजनाओं/ कार्यक्रमों का स्पष्ट विवरण देते हुए उनके कार्यान्वयन के बारे में की जाने वाली कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाय।

(3) विभाग के सभी अनुभागों से सम्बन्धित सामग्री पर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का अनुमोदन प्राप्त करके वित्त विभाग को संहत रूप से भेजी जाय। यह सुविधाजनक होगा कि सामग्री एक या दो पृष्ठों में सारगर्भित रूप में हो।

(4) बजट सामग्री को अन्तिम रूप देने के दौरान विभागों द्वारा अपेक्षित सामग्री के बारे में कभी-कभी कुछ अतिरिक्त सूचनायें अथवा स्पष्टीकरण अल्प समय में अपेक्षित होते हैं। अतएव आप अपने विभाग में इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये **विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के किसी अधिकारी को समन्वय अधिकारी भी नामित कर दें और नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर तथा आवासीय व कार्यालय टेलीफोन नम्बरों की सूचना भी वित्त विभाग को तुरन्त दे दी जाय** ताकि आवश्यकता पड़ने पर उक्त अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके वांछित सूचना अविलम्ब प्राप्त की जा सके।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर मा. वित्त मंत्री जी के **बजट भाषण हेतु स्वहस्ताक्षरित सामग्री (तीन प्रतियों में) वित्त विभाग को विलम्बतम 30 नवम्बर, 2022 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in